न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 95/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/147

प्रार्थी :–
मोहम्मद अमीन पुत्र अब्दुल हकीम तैली मुसलमान निवासी दियाशाह जी का तकीया पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

दर्ज दिनांक :– 15.05.2024

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मन्सूर अली छीपा प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

''आदेश''

दिनांक : 30.09.2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी उपरोक्त पत्ते का निवासी है तथा ग्राम बुचकलां पटवार क्षेत्र बुचकला तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 680 रकबा 2.8315 हैक्टेयर आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 371 पर दर्ज है तथा उक्त खसरे की भूमि में प्रार्थी का 1/8 वा हक व हिस्सा निहित है। खसरा संख्या 680 में विरासत नामांतरण संख्या 1734 दिनांक 20.10.2020 को इन्द्राज किया गया उस समय प्रार्थी का घरेलू नाम मोहम्मद पप्पू पुत्र अब्दुल हकिम दर्ज कर दिया गया जो की त्रुटि पूर्ण नाम है प्रार्थी के आधार कार्ड में भामाशाह कार्ड में बीपीएल कार्ड में, राशन कार्ड में तथा बैंक डायरी में तथा पहचान पत्र में व अन्य बैचाननामों में सही नाम मो.अमीन पुत्र श्री अब्दुल हकीम इन्द्राज है प्रार्थी का नाम उक्त खसरा संख्या 680 में मोहम्मद पप्पु होने से प्रार्थी फसल बीमा लाभ व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्त करने हेतू उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहां है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के समक्ष नाम शुद्ध करने हेतू निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने प्रार्थी को सुझाव देते हुए बताया की श्रीमान न्यायालय से आदेश होने के पश्चात ही राजस्व रेकर्ड में शुद्धि की जा सकती है इसलिए श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के पास उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अत श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम बुचकला तहसील पीपाड बाहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 680 में प्रार्थी का नाम मोहम्मद पप्पु के स्थान पर मो.अमीन किये जाने के आदेश फरमाए व राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धि करवाने की कृपा करावे।

30/9

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को सम्मन जारी किया गया। जो बाद तामिल प्राप्त हुआ। तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौखिक रूप से बताया कि राजस्व ग्राम बुचकलां के खसरा नम्बर 680 में विरासत नामान्तरण सं. 1734 दिनांक 20.10.2020 को इन्द्राज किया गया तब प्रार्थी का घरेलु नाम मोहम्मद पप्पु दर्ज हो गया। त्रुटिपूर्ण है । प्रार्थी का सही नाम मो. अमीन हैं। दोनो एक ही व्यक्ति हैं। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति गांव में नही हैं। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर की ओर से नाम शुद्धी किये जाने पर अनापति जाहिर की ।

पत्रावली का अवलोकन किया, बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में राजस्व ग्राम बुचकलां के खसरा नम्बर 680 में दर्ज नाम मोहम्मद पप्पु के स्थान पर मो. अमीन किये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में ग्राम बुचकलां के खसरा नम्बर 680 में दर्ज नाम मोहम्मद पप्पु के स्थान पर मो.अमीन किये जाने का निवेदन किया हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बुचकलां के खसरा नम्बर 380 में दर्ज नाम मोहम्मद पप्पु पुत्र अब्दुल हकीम के स्थान पर मो. अमीन पुत्र हकीम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(भूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 30.09.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(भूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर